भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 600
24.07.2023 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन हेतु धनराशि

600. **डॉ. सुजय विखे पाटील :**
श्री कृष्णपालसिं ह यादव :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु परिवर्तन के संबंध में कोई इनकम और आऊटकम बजट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और न्यूनीकरण उपायों पर खर्च की गई धनराशि का पृथक ब्यौरा क्या है और परियोजना तथा वित्तपोषण के स्रोत का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने यह निर्धारित करने के लिए कोई लागत-लाभ विश्लेषण किया है कि यदि स्वास्थ्य चर्चा संबंधी व्यय सहित कतिपय जलवायु परिवर्तन के उपायों को अपनाया जाता है तो कितनी राशि की बचत होगी; और
(घ) क्या सरकार ने कतिपय जलवायु परिवर्तन उपायों से प्राप्त होने वाले अमूर्त लाभों का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ): जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सामूहिक कार्रवाई की समस्या है और इसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और पेरिस समझौते का एक पक्षकार है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्रवाइयां यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों, विशेष रूप से, राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में साम्य और साझा किंतु भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को ध्यान में रखती हैं।

2015 में पेरिस समझौते के तहत, भारत ने जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन सहित सतत विकास और देश के आर्थिक विकास की चिंताओं और प्राथमिकताओं को संतुलित करते हुए अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किया था। अगस्त 2022 में, भारत ने अपने एनडीसी को अपडेट किया, जिसके अनुसार भारत ने 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने, 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने वर्ष 2070 तक निवल-शून्य प्राप्त करने के लिए अपनी दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास कार्यनीति भी प्रस्तुत की।

सरकार जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) सहित अपने कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, संधारणीय कृषि, स्वास्थ्य, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में मिशन शामिल हैं। चूंकि जलवायु परिवर्तन एक व्यापक विषय है, इसलिए मिशनों का कार्यान्वयन संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है। एनएपीसीसी सभी जलवायु कार्यों के लिए एक व्यापक रुपरेखा प्रदान करता है। 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एनएपीसीसी के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर अपनी राज्य कार्य योजनाएं (एसएपीसीसी) तैयार की हैं। एसएपीसीसी के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों की है।

भारत के जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यों को अब तक घरेलू संसाधनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वित्तपोषित किया गया है। केंद्रीय बजट, 2020-21 में कहा गया है कि कार्रवाई के रूप में भारत की एनडीसी प्रतिबद्धताओं को सामान्य बजट प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित विभागों/ मंत्रालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादित किया जाएगा। उत्तरोत्तर केंद्रीय बजटों ने जलवायु कार्रवाई के लिए संसाधन जुटाने की दिशा में प्रयासों को बढ़ाया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में अर्थव्यवस्था को हरित बनाना शीर्ष सात प्राथमिकताओं में से एक है। बजट में हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित कृषि, हरित गतिशीलता, हरित भवन और हरित उपकरण जैसे कई कार्यक्रमों और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए नीतियों का संकेत दिया गया है। विशेष रूप से, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 19,700 करोड़ रुपये का परिव्यय कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की सुविधा के लिए आवंटित किया गया है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का है। बजट में ऊर्जा परिवर्तन और निवल शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

लागत लाभ विश्लेषण के लिए, एसएपीसीसी को संस्थागत तैयारी और डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बेहतर क्षमताओं के संदर्भ में पर्याप्त सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, ताकि जलवायु अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और ठोस प्रत्यारोपण योग्य कार्रवाई और लेखांकन किया जा सके।

जलवायु कार्रवाई की लागत का अनुमान लगाने में कई तकनीकी और प्रयोगसिद्ध सीमाएं शामिल हैं और यह कई पूर्वानुमानों पर भी आधारित हैं। यद्यपि कृषि, जल, तटीय, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर व्यय पर विचार किया जाता है, फिर भी कई नामौजूद और अज्ञात दृष्टिकोण हो सकते हैं। जबकि स्रोत स्तर पर अनुमान अनिश्चितता के अधीन हैं, यह स्पष्ट है कि वास्तविक वित्त व्यय का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं में विभिन्न जलवायु सह-लाभ होंगे।

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुकूलन उपायों का समर्थन करने के लिए सरकार ने जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) कार्यान्वित की है। एनएएफसीसी के अंतर्गत 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 30 परियोजनाएं कृषि, जल, वानिकी आदि में अनुकूलन के लिए स्वीकृत की गई हैं। इसका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

आज की तारीख में, भारत ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को धीरे-धीरे अलग करना शुरू कर दिया है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता वर्ष 2005 और वर्ष 2016 के बीच 24 प्रतिशत कम हो गई है। बिजली उत्पादन की गैर-जीवाश्म स्रोतों पर आधारित स्थापित क्षमता में भारत की वर्तमान हिस्सेदारी 40% से अधिक है। नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, पिछले सात वर्षों (आईएसएफआर 2015 से आईएसएफआर 2021) में देश के कुल वन क्षेत्र में 12,294 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

****

अनुबंध

'जलवायु परिवर्तन हेतु धनराशि' के संबंध में दिनांक 24.07.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 600 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष-वार निधि जारी करने का विवरण		
वित्तीय वर्ष	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए**	**(राशि रुपए में)** **नाबार्ड को जारी धनराशि**
2015-16	पुदुचेरी	₹ 3,94,71,859
	मेघालय	₹ 11,45,77,200
	छत्तीसगढ	₹ 10,73,63,080
	जम्मू एवं कश्मीर	₹ 11,25,76,580
	केरल	₹ 12,50,00,000
	हिमाचल प्रदेश	₹ 10,00,00,000
	तमिलनाडु	₹ 12,37,00,000
	मणिपुर	₹ 5,00,00,000
	पंजाब	₹ 13,92,00,000
	ओडिशा	₹ 16,00,00,000
	तेलंगाना	₹ 6,00,08,615

	मिजोरम	₹ 5,19,04,533
	कुल	**₹ 1,18,38,01,867**
2016-17	सिक्किम	₹ 10,00,00,000
	महाराष्ट्र	₹ 7,86,950
	गुजरात	₹ 8,79,05,001
	महाराष्ट्र	₹ 11,47,28,357
	असम	₹ 12,42,77,650
	पश्चिम बंगाल	₹ 11,56,05,000
	हरियाणा	₹ 8,76,62,167
	मध्य प्रदेश	₹ 12,43,90,451
	आंध्र प्रदेश	₹ 6,35,68,108
	कर्नाटक	₹ 12,10,76,316
	कुल	**₹ 94,00,00,000**
2017-18	राजस्थान	₹ 12,48,87,500
	बिहार	₹ 11,53,31,000
	नगालैंड	₹ 12,33,34,500
	उत्तर प्रदेश	₹ 6,31,47,000
	झारखंड	₹ 12,36,00,000
	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश	₹ 60,33,00,000
	कुल	**₹ 1,15,36,00,000**
2018-19	तमिलनाडु	₹ 10,00,00,000
	राजस्थान	₹ 2,00,00,000
	केरल	₹ 5,00,00,000
	मिजोरम	₹ 3,00,00,000
	मणिपुर	₹ 3,00,00,000
	हिमाचल प्रदेश	₹ 5,00,00,000
	सिक्किम	₹ 6,16,00,000
	तमिलनाडु	₹ 6,90,12,823
	अरुणाचल प्रदेश	₹ 11,95,76,582
	पुदुचेरी	₹ 9,34,94,000
	तमिलनाडु (एससीएसपी)	₹ 5,00,00,000
	राजस्थान	₹ 8,00,00,000
	तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान	₹ 34,13,16,595
	कुल	**₹ 1,09,50,00,000**

2019-20	मेघालय	₹ 5,00,00,000
	गुजरात	₹ 12,56,82,652
	मणिपुर	₹ 2,00,00,000
	सिक्किम	₹ 2,50,00,000
	मिजोरम (टीएसपी)	₹ 2,19,04,532
	तमिलनाडु	₹ 2,37,00,000
	उत्तर प्रदेश	₹ 2,20,00,000
	हिमाचल प्रदेश (एससीएसपी)	₹ 4,69,07,812
	कुल	**₹ 33,51,94,996**
2020-21	उत्तर प्रदेश	5,23,50,256
	मेघालय (टीएसपी)	6,45,77,200
	सिक्किम (एनईआर)	6,00,74,102
	पश्चिम बंगाल	2,80,00,000
	केरल	3,00,00,000
	तेलंगाना	10,68,20,000
	पश्चिम बंगाल (एससीएसपी)	3,00,00,000
	पश्चिम बंगाल	2,76,00,000
	छत्तीसगढ़	2,00,00,000
	छत्तीसगढ़ (टीएसपी)	1,00,00,000
	कुल	**₹ 42,94,21,558.00**
2021-22	उत्तर प्रदेश	6,01,92,000.00
	झारखंड (टीएसपी)	6,24,32,420.00
	नागालैंड (एनईआर)	₹ 10,00,00,000.00
	नागालैंड (टीएसपी)	₹ 1,00,00,000.00
	केरल	₹ 4,50,00,000.00
	अरुणाचल प्रदेश	₹ 5,69,86,969.00
	अरुणाचल प्रदेश (टीएसपी)	₹ 75,67,580.00
	बिहार	₹ 29,38,941.00
	बिहार (एससीएसपी)	₹ 6,00,00,000.00
	कर्नाटक	₹ 6,53,83,533.00
	ओडिशा	₹ 3,99,96,869.00
	क्षेत्रीय परियोजनाएँ	₹ 7,21,00,000.00
	पंजाब	₹ 1,51,09,994.00
	कुल	**₹ 59,77,08,306.00**

2022-23	पुदुचेरी	₹ 3,46,34,141.00
	तमिलनाडु (एससीएसपी)	₹ 2,97,53,206.00
	जम्मू एवं कश्मीर	₹ 2,75,79,085.00
	तेलंगाना	₹ 7,32,05,845.00
	नगालैंड	₹ 1,33,45,000.00
	अरुणाचल प्रदेश (एनईआर)	₹ 3,09,35,929.00
	कुल	**₹ 20,94,53,206.00**
कुल योग		**₹ 5,94,41,79,933**
परियोजनाओं की कुल स्वीकृत राशि = ₹ 839 करोड़		

****